

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021—भाद्र 26, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर 2021

फा. क्र. 3349-इक्कीस-ब(एक)-2021.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“16. अधिवार्षिकी आयु.—

- (1) (क) उप-नियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए सेवा का प्रत्येक सदस्य, यदि वह 58 (अट्ठावन) वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में बने रहने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा योग्य और उपयुक्त पाया जाए, माह के अंतिम दिन अपराहन् को उस सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें वह 60 वर्ष (साठ वर्ष) की आयु प्राप्त करता है:

परन्तु सेवा का कोई सदस्य जिसकी जन्मतिथि माह का प्रथम दिन हो, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन अपराहन् में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा का कोई सदस्य, जो योग्य और उपयुक्त नहीं पाया जाए, उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

(2) इन नियमों में या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सेवा का कोई सदस्य, लोक हित में, उसके 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पश्चात् या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, किसी भी समय सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) के प्रयोजन के लिए, मुख्य न्यायाधीश सेवा के ऐसे सदस्य की संवीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए, जो उसके पूर्व सेवा अभिलेख, गोपनीय चरित्रावली, निर्णयों/आदेशों की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत विषयों जैसे उसकी संनिष्ठा, प्रतिष्ठा और सेवा में उपयुक्तता पर आधारित होगा, एक संवीक्षा समिति का गठन कर सकेगा।

2. नियम 16 क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“16. कक. त्यागपत्र तथा बंधपत्र का निष्पादन.—

“अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति पर, पांच लाख रुपए की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा वचनबंध देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा। यदि ऊपर उल्लिखित कालावधि के पूर्व, वह सेवा से त्यागपत्र देता है या किसी अन्य रीति में सेवा छोड़ देता है, तो वह पांच लाख रुपए की राशि या तीन माह के वेतन तथा भत्ते, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा। शर्तों के भंग की स्थिति में बंधपत्र की सम्पूर्ण राशि समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगी:

परन्तु जहां अधिकारी, पूर्व अनुमति से, केन्द्र सरकार या मध्यप्रदेश राज्य सरकार में नौकरी स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है, तो उससे बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.”

F. No. 3349-XXI-B(One)-2021.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely:—

“16. Superannuation Age:—

(1) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2) and (3) every member of the service shall retire from the services in the afternoon of the last day of the month, in which he attains the age of 60 (Sixty) years provided he is found fit and suitable to continue after 58 (fifty eight) years of age in service by the High Court:

Provided that a member of service whose date of birth is the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 60 (Sixty) years.

(b) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (2) a member of the service not found fit and suitable shall be compulsorily be retired on his attaining the age of 58 Years.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contain in these Rules or any other rules for the time being in force, a member of the service may, in public interest, be retired at any time after he has completed 10 years of service, or on attaining the age of 50 years, whichever is earlier.

(3) For the purpose of the sub-rule (1) and (2), the Chief Justice may constitute a Screening Committee for the scrutiny and assessment of such member of the service, based on his past record of service, character rolls, quality of judgments/orders and other relevant matters like his integrity, reputation and utility to the Service etc.

2. After rule 16A, the following rule shall be added, namely:—

“16. AA. Resignation and Execution of Bond.—

“The candidate upon regular appointment, will execute a Bond for a sum of Rs. Five lacs, and give an undertaking that, after joining service he will serve for a minimum period of three years. In case he resigns from service or leaves service in any other manner, before the above mentioned period, he shall pay a sum of Rs. five lacs or three months pay and allowances, whichever is higher. In case of breach of conditions, the entire amount of the Bond would be liable to be forfeited:

Provided that where the officer is tendering resignation for accepting the job in the Central Government or the State Government of Madhya Pradesh, with prior permission he may not be required to pay the amount of bond.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.